भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय
OFFICE OF THE
आयकर आयुक्त,
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
जयपुर-द्वितीय, जयपुर
JAIPUR-II, JAIPUR

क्र: आ0आ0 / जेपीआर– ।। / आ0अ0(त0 एवम न्या0) / 225 / 2010–11 / 71 दिनांक:– 01.04.2010

बाल संसार संस्थान,
बी–88, सरस्वती मार्ग, बजाज नगर,
जयपुर।

महोदय,

विषय:–आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत छूट प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु।

....

उपर्युक्त विषय में आपके प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.03.2010 का अवलोकन करें। इसके साथ आपने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत छूट हेतु प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपका धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत छूट हेतु नवीनीकरण 31.03.2010 तक हो चुका है। आयकर अधिनियम में वर्ष 2009 में किये गये संशोधन के अनुसार जिन संस्थाओं के अक्टूबर–2009 के बाद तक धारा 80जी(5)(vi) के तहत छूट मिली हुई है, उन्हे पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता नही हैं। अतः आपको धारा 80जी(5)(vi) के तहत पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता नही हैं।

भवदीय,

(जी.डी. शर्मा)
आयकर अधिकारी (त0 एव न्या0),
कृते आयकर आयुक्त, जयपुर–द्वितीय,
जयपुर।

भारत सरकार

कार्यालय

आयकर आयुक्त–II, जयपुर

केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल
भगवान दास रोड़, जयपुर

सं.आयुक्त-II (त. एव. न्या.)/80जी/07-08/920 दिनांक 30-7-07

M/s Bal Sansar
B-98, Saraswati Marg,
Bajaj Nagar, Jaipur

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत छूट-

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत आपको छूट दी जाती है आपको दानकर्त्ता द्वारा दिया गया अनुदान, उसके पक्ष में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी की छूट के अन्तर्गत उस सीमा तथा शर्तों के अनुरूप होगा जो कथित धारा में विहित है।

2. यह छूट प्रमाण-पत्र निम्नलिखित अवधि के लिए मान्य होगा :
अवधि 1.4.2007 से 31.3.2010 तक।

(M. K. MIHANI)
आयकर आयुक्त-II
जयपुर

प्रतिलिपि :-
1. आयकर अधिकारी - Ward 4(3), JPR
2. अपर/उप/आयकर आयुक्त - रेंज - 6, Jaipur

आयकर अधिकारी (त. एवं न्या.)
कृते आयकर आयुक्त-II, जयपुर